निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 आषाढ़ 1938 (श0)

(सं0 पटना 573) पटना, शुक्रवार, 8 जुलाई 2016

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

8 जून 2016

सं0 22/नि0सि0(भाग0)–09–10/2014/1054—श्री दयानन्द सिंह, आई0 डी0 क्रमांक–2562 तत्कालीन तकनीकी सलाहकार, रूपांकण अंचल, भागलपुर सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्व इनके रूपांकण अंचल, भागलपुर के पदस्थान काल में दिनांक 15.07.11 से स्वेच्छापूर्वक अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहने, जिसके कारण रूपांकण अंचल, भागलपुर के कार्यालय का कार्य बाधित हुआ एवं सरकारी राजस्व की क्षति हुई, के प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोप के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1434 दिनांक 26.09.14 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

श्री सिंह के विभाग में उपलब्ध स्थायी/पत्राचार का पता–पावापुरी निवास, गगन दीवान, रॉची रोड, बिहारशरीफ, नालन्दा के पता पर निबंधित डाक द्वारा भेजा गया विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1434 दिनांक 26.09.14 बिना तामिला के वापस विभाग में लौट आने के फलस्वरूप''प्रेस विज्ञप्ति'' जिसका प्रकाशन दिनांक 17.01.15 को दैनिक समाचार पत्र ''दैनिक जागरण'' में हुआ, के माध्यम से श्री सिंह को विभागीय कार्यवाही का संकल्प ज्ञापांक 1434 दिनांक 26.09.14 को कार्यालय से प्राप्त कर विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का निदेश दिया गया परन्तु श्री सिंह द्वारा विभागीय कार्यवाही का संकल्प न तो कार्यालय से प्राप्त किया गया और न ही विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी के समक्ष अपना बचाव पक्ष रखा गया।

विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी द्वारा भी श्री सिंह, तत्कालीन तकनीकी सलाहकार सम्प्रति सेवानिवृत को अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी इनके विभागीय कार्यवाही में उपस्थित नहीं होने की स्थिति में पत्रांक 116 दिनांक 11.02.15 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन विभाग में समर्पित किया गया जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर किये जाने के उपरान्त पाया गया कि संचालन पदाधिकारी द्वारा जॉच प्रतिवेदन में निष्कर्ष के तौर पर ''श्री सिंह के विरूद्व लम्बी अवधि तक बिना सूचना के अनुपस्थित रहने का आरोप प्रमाणित होने'' का मंतव्य दिया गया है। फलस्वरूप सरकार के स्तर पर लिये गये निर्णय के आलोक में संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए प्रमाणित आरोप के लिए श्री सिंह, तत्कालीन तकनीकी सलाहकार सम्प्रति सेवानिवृत से विभागीय पत्रांक 890 दिनांक 16.04.2015 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा किया गया।

श्री दयानन्द सिंह, तत्कालीन तकनीकी सलाहकार सम्प्रति सेवानिवृत द्वारा विभागीय पत्रांक 890 दिनांक 16.04.15 के आलोक में वांछित द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर समप्रित नहीं किये जाने के उपरान्त विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन कराकर जिसका प्रकाशन दिनांक 09.08.15 को हुआ, श्री सिंह को वांछित द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से निदेश दिये जाने के बावजूद श्री दयानन्द सिंह, तत्कालीन तकनीकी सलाहकार सम्प्रति सेवानिवृत द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित नहीं किये जाने के फलस्वरूप मामले की समीक्षा पुनः सरकार के स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरान्त निम्नांकित तथ्य पाये गये।

श्री सिंह को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उनके द्वारा आरोप के संबंध में अपना बचाव पक्ष समर्पित नहीं करना उनकी कुटिसत मंशा को दर्शाता है। संचालन पदाधिकारी द्वारा भी विभागीय कार्यवाही के जॉच प्रतिवेदन में श्री सिंह के विरूद्व दिनांक 15.07.11 से स्वेच्छापूर्वक कर्तव्य से अनुपस्थित रहने के आरोप को प्रमाणित पाया गया है। इस प्रकार दिनांक 15.07.11 से सेवानिवृति की तिथि (दिनांक 31.01.14) तक लगातार दो वर्ष छः माह सतरह दिन श्री सिंह के स्वेच्छापूर्वक कर्तव्य से अनुपस्थित रहने के कारण सरकारी कार्यालय का कार्य प्रत्यक्ष रूप से बाधित हुआ जिससे अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी राजस्व की क्षति हुई।

उक्त पाये गये तथ्यों के आलोक में प्रमाणित आरोप के लिए सरकार के स्तर पर श्री दयानन्द सिंह, तत्कालीन तकनीकी सलाहकार, रूपांकण अंचल, भागलपुर सम्प्रति सेवानिवृत को निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया हैः–

(i) दिनांक 15.07.11 से 30.01.14 तक लगातार स्वेच्छापूर्वक कर्तव्य से अनुपस्थित रहने के कारण ''काम नहीं तो वेतन नहीं'' के सिद्वान्त पर उक्त अवधि का वेतनादि देय नहीं होगा एवं उक्त अवधि को सेवा में टूट मानी जायेगी तथा उक्त अवधि की गणना पेंशन के प्रयोजनार्थ नहीं की जायेगी।

(ii) देय पेंशन की राशि पर 10 (दस) प्रतिशत तक सदा के लिए रोक।

उपर्युक्त कंडिका–(ii) के दण्ड पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त है।

सरकार के स्तर पर लिये गये उक्त निर्णय के आलोक श्री दयानन्द सिंह, तत्कालीन तकनीकी सलाहकार, रूपांकण अंचल, भागलपुर सम्प्रति सेवानिवृत को निम्न दण्ड देते हुए उन्हें संसूचित किया जाता है।

(i) दिनांक 15.07.11 से 30.01.14 तक लगातार स्वेच्छापूर्वक कर्तव्य से अनुपस्थित रहने के कारण ''काम नहीं तो वेतन नहीं'' के सिद्वान्त पर उक्त अवधि का वेतनादि देय नहीं होगा एवं उक्त अवधि को सेवा में टूट मानी जायेगी तथा उक्त अवधि की गणना पेंशन के प्रयोजनार्थ नहीं की जायेगी।

(ii) देय पेंशन की राशि पर 10 (दस) प्रतिशत तक सदा के लिए रोक।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
जीउत सिंह,
सरकार के उप–सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 573-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in